इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट की अनुदान कार्यक्रमों की मार्गदर्शक मूल्यें

आईएफएके, भूतपूर्व और मौजूदा दाता, विश्वस्त और कर्मचारी, अपनी अपनी हुनरके प्रसिद्ध लोग होनेके कारण, आईएफएके अनुदान / छात्रवृत्ती कार्यक्रमों में, किसी भी प्रकारके व्यक्तिगत स्वार्थको दूर रखनेके लिए इन मार्गदर्शक मूल्योंका निर्धारण किया गया हैं| ये मार्गदर्शक मूल्य इन लोगोंके लिए हैं:

1. कर्मचारी

1.1. आईएफएकी नौकरीके दौरान

a. आईएफएके कर्मचारी, उनकी आईएफएकी नौकरीके दौरान, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्तीके लिए आवेदन नहीं भर सकते|
b. ऐसे कर्मचारीयोंके नजदीकी परिवारके सदस्य, याने माता-पिता, भाई-बहेन, पती या पत्नी और संतान (“**नजदीकी परिवारके सदस्य**”), ऐसे कर्मचारीयोंके आईएफएके साथ नौकरीके दौरान, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्ती के लिए आवेदन नहीं भर सकते|
c. कोई भी संस्था, जहां आईएफएका कोई भी कर्मचारी संचालक समिति में हैं या कोई भी निर्णय लेनेके लिए सक्षम पदपर नियुक्त है, ऐसी संस्था, ऐसे कर्मचारीयोंके, आईएफएके साथ नौकरीके दौरान, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्ती के लिए आवेदन नहीं भर सकती|

1.2. आईएफएकी नौकरी ख़त्म होनेके बाद / सेवामुक्त होनेके बाद

a. ऐसे कर्मचारी, आईएफएकी नौकरीसे मुक्त होनेके बाद दो (२) साल पुरे होनेतक कोई भी अनुदान / छात्रवृत्तीके लिए आवेदन नहीं भर सकते|
b. ऐसे कर्मचारीयोंके नजदीकी परिवारके सदस्यभी, ऐसे कर्मचारीयोंकी आईएफएके साथ नौकरीसे मुक्त होनेके बाद दो (२) साल पुरे होने तक कोई भी अनुदान / छात्रवृत्तीके लिए आवेदन नहीं भर सकते|
c. कोई भी संस्था जहां आईएफए का कोई भी कर्मचारी संचालक समिति में हैं या कोई भी निर्णय लेनेके लिए सक्षम पदपर नियुक्त है, ऐसी संस्था, ऐसे कर्मचारीयोंकी आईएफएकी नौकरीसे मुक्त होनेके बाद एक (१) साल पूरा होनेतक कोई भी अनुदान / छात्रवृत्तीके लिए आवेदन नहीं भर सकती|

2. विश्वस्त

2.1. उनके विश्वस्त पदके कार्यकाल में

a. आईएफएके विश्वस्त, उनके आईएफएकी संचालक समितिकी विश्वस्त कार्यकाल में, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्ती के लिए आवेदन नहीं भर सकते|
b. ऐसे कर्मचारीयोंके नजदीकी परिवारके सदस्यभी, उनकी आईएफएकी संचालक समितिके विश्वस्त कार्यकाल में, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्तीके लिए आवेदन नहीं भर सकते|
c. कोई भी संस्था जहां आईएफएके विश्वस्त संचालक समिति में हैं या कोई भी निर्णय लेनेके लिए सक्षम पदपर नियुक्त है, ऐसी संस्था, ऐसे विश्वस्तोंकी, आईएफएकी संचालक समितीके विश्वस्त कार्यकाल में, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्तीके लिए आवेदन नहीं भर सकती|

2.2. विश्वस्त कार्यकाल पुरा होनेके बाद

a. आईएफएके विश्वस्त, आईएफएके साथका विश्वस्त कार्यकाल पुरा होनेके बाद, तीन (३) साल पुरे होनेतक, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्ती के लिए आवेदन नहीं भर सकते|
b. ऐसे विश्वस्तोंके नजदीकी परिवारके सदस्यभी, ऐसे विश्वस्तोंका आईएफएके साथ विश्वस्त कार्यकाल पुरा होनेके बाद, तीन (३) साल पुरे होनेतक, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्ती के लिए आवेदन नहीं भर सकते|
c. कोई भी संस्था जहां आईएफएके विश्वस्त संचालक समिति में हैं या कोई भी निर्णय लेनेके लिए सक्षम पदपर नियुक्त है, ऐसी संस्था, ऐसे विश्वस्तोंका, आईएफएके साथ विश्वस्त कार्यकाल पुरा होनेके बाद, एक (१) साल पुरा होनेतक या उनका ऐसी दुसरी संस्थाके साथका विश्वस्त कार्यकाल पुरा होनेके बाद, इनमें से जो बाद में होगा वो होनेतक, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्ती के लिए आवेदन नहीं भर सकती|

3. दाता

“**आईएफए के दोस्त**”, याने ऐसे दाता, जिन्होंने आईएफएको, दानके तौर पे या कोई निर्दिष्ट कार्यक्रमके लिए या आईएफएकी कॉर्पस पूंजीके लिए, पचास हजार से (भारतीय रुपये ५०,०००,/-) कम रकम दी है|

“**जिन्दगीभर के दोस्त**”, याने ऐसे दाता, जिन्होंने आईएफएको, दानके तौर पे या कोई निर्दिष्ट कार्यक्रमके लिए या आईएफएकी कॉर्पस पूंजीके लिए, पचास हजार से (भारतीय रुपये ५०,०००,/-) ज्यादा मगर एक लाख से (भारतीय रुपये १,००,०००/-) कम रकम दी है|

“**आश्रयदाता**”, याने ऐसे दाता, जिन्होंने आईएफएको, दानके तौर पे या कोई निर्दिष्ट कार्यक्रमके लिए या आईएफएकी कॉर्पस पूंजीके लिए, एक लाख से (भारतीय रुपये १,००,०००/-) ज्यादा रकम दी है|

“**दाता संस्था**” याने ऐसे दाता, जो खुद एक व्यावसायिक संस्था, ट्रस्ट, सोसायटी, साझेदारी संस्था इत्यादि हैं, जिन्होंने आईएफएको, दानके तौर पे या कोई निर्दिष्ट कार्यक्रमके लिए या आईएफएकी कॉर्पस पूंजी के लिए, दान दिया है|

a. “**आईएफए के दोस्त**”, उनकी दानका कार्यकाल पुरा होनेके एक (१) सालके बाद, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्तीके लिए आवेदन कर सकते हैं|
b. “**जिन्दगीभर के दोस्त**”, उनकी दानकी तारीख से तीन (३) सालोंके बाद, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्तीके लिए आवेदन कर सकते हैं|
c. “**आश्रयदाता**”, उनकी दानकी तारीख से पाँच (५) सालोंके बाद, कोई भी अनुदान / छात्रवृत्तीके लिए आवेदन कर सकते हैं|
d. “**दाता संस्था**”, उनकी आईएफएको दी गई आर्थिक मदद अनिर्णीत अवस्था में होनेतक किसी भी अनुदानके लिए आवेदन नहीं कर सकती| “**दाता संस्था**”, उन्होंने आईएफएको दी गई आर्थिक मदद किस प्रकार से इस्तेमाल की गई है इसका हिसाब आईएफएने उन्हें देनेकी तारीख से एक (१) सालके बाद अनुदानके लिए आवेदन कर सकती हैं| ये स्पष्ट किया जाता है की ऐसा आर्थिक विवरण पुरा करके, दाता संस्थाको, तभी दिया जाएगा जब उस दान में से चलाया जानेवाला प्रकल्प / उसमें से निर्धारित किया हुआ खर्चा पुरा होगा|
e. दाता संस्थाके कर्मचारी या वहां निर्णय लेनेकी क्षमताके पदपर काम करनेवाली कोई भी व्यक्ती, उस संस्थाने आईएफएको दी हुई आर्थिक मदद किस प्रकार से इस्तेमाल की गई है इसका हिसाब आईएफएने उन्हें देनेकी तारीख से एक (१) सालके बाद या उनकी उस संस्थाके साथ नौकरी ख़त्म होनेके एक (१) सालके बाद, अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं|